भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1567
मंगलवार, 28 जुलाई, 2026/6 श्रावण,1948(शक) को उत्तरार्थ

पश्चिम बंगाल की सहकारी समितियों का पंजीकरण न होना

†1567. **श्री जगन् नाथ सरकारः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की सहकारी समितियां एनसीसीएफ (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया), नेफेड, एनकोल (नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड), एनसीईएल (नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड) और बीबीएसएसएल (भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड) के पोर्टलों पर पंजीकृत नहीं हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता खुदरा नेटवर्क, एमएसपी खरीद, जैविक प्रमाणन, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजारों और सुलभ प्रमाणित बीजों तक पहुंच से वंचित होने के संदर्भ में पश्चिम बंगाल के किसानों को होने वाले नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल की सहकारी समितियों को सभी पांचों प्लेटफार्मों पर पंजीकृत करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख):

i. जी नहीं मान्यवर, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) का ई-संयुक्ति पोर्टल और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) का ई-समृद्धि पोर्टल खुले डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जिन पर सभी पात्र पीएसीएस, सहकारी समितियां, एफपीओ और किसान किसी भी समय पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण पर किसी राज्य या क्षेत्र विशिष्ट संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के 62 पैक्स और 10 पैक्स ने क्रमशः ई-संयुक्ति और ई-समृद्धि पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

ii. इसी तरह, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल), राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) में सदस्यता देश भर की सभी सहकारी समितियों के लिए खुली है। पश्चिम बंगाल की 40, 12 एवं 4 सहकारी

समितियाँ क्रमशः बीबीएसएसएल (BBSSL), एनसीईएल (NCEL) एवं एनसीओएल (NCOL) की सदस्य हैं।

iii. पश्चिम बंगाल की सहकारी समितियों को क्रमश उपभोक्ता खुदरा नेटवर्क, एमएसपी प्रापण, जैविक प्रमाणन, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजारों और किफायती प्रमाणित बीजों तक पहुंच से इनकार नहीं किया गया है । एनसीसीएफ ने रबी विपणन सीजन वर्ष 2025-26 के दौरान पश्चिम बंगाल के 148 किसानों से 257 मीट्रिक टन मक्का का प्रापण किया है । नेफेड ने खरीफ-2024, रबी-2025 एवं खरीफ-2025 और रबी-2026 सीजन के दौरान पश्चिम बंगाल के 237 किसानों से 1,800 मीट्रिक टन मक्का का प्रापण किया है । बीबीएसएसएल के 12 डीलर पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं जिनके माध्यम से पश्चिम बंगाल के किसानों को 126 मीट्रिक टन बीजों की आपूर्ति की गई है ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणित और किफायती बीजों तक पहुंच प्रदान की जा सके।

(ग):

i. पात्र पीएसीएस, सहकारी समितियों, एफपीओ और किसानों को क्षेत्र स्तर के आउटरीच कार्यकलापों और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से ई-संयुक्ति और ई-समृद्धि पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाता है

ii. सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित मासिक राज्य समीक्षा बैठकों में, पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे पीएसीएस को उक्त पोर्टलों पर पंजीकरण करने और बीबीएसएसएल, एनसीईएल और एनसीओएल में सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।

iii. बीबीएसएसएल, एनसीईएल और एनसीओएल ने राज्य के साथ घनिष्ठ समन्वय करने और राज्य की सहकारी समितियों तक पहुंच के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य नोडल एजेंसी- वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (बीईएनएफईडी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
